अध्याय 4: हांगकांग में कार्य करना

श्रम विभाग से सहायता

रोजगार के अधिकार और लाभ

यदि आपको अपने रोजगार के अधिकारों और लाभों के संबंध में कोई समस्या है तो आप श्रम विभाग के श्रम संबंध प्रभाग से नि:शुल्क सहायता ले सकते हैं। वे आपको निम्नलिखित सहायता प्रदान कर सकते हैं:

- रोजगार अध्यादेश, न्यूनतम मजदूरी अध्यादेश (जहां लागू है) और आपके रोजगार अनुबंध के अंतर्गत आपके अधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित सूचना;
- नि:शुल्क परामर्श सेवाएं
- आप और आपके नियोक्ता के बीच विवादों के समाधान हेतु नि:शुल्क सुलह सेवा।

श्रम संबंध प्रभाग के कार्यालय निम्नलिखित जगहों पर स्थित हैं:

हांगकांग आइलैंड

Hong Kong East Office 12/F, 14 Taikoo Wan Road Taikoo Shing Hong Kong	Hong Kong West Office 3/F, Western Magistracy Building 2A Pokfulam Road Hong Kong

कोवलून

Kowloon East Office UGF, Trade and Industry Tower 3 Concorde Road, Kowloon	Kowloon West Office Room 1009, 10/F Cheung Sha Wan Government Offices 303 Cheung Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon
Kowloon South Office 2/F, Mong Kok Government Offices 30 Luen Wan Street Mong Kok, Kowloon	Kwun Tong Office 6/F, Kowloon East Government Offices 12 Lei Yue Mun Road Kwun Tong, Kowloon

न्यू टैरीटरीज

Tsuen Wan Office 5/F, Tsuen Wan Government Offices 38 Sai Lau Kok Road Tsuen Wan, New Territories	Kwai Chung Office 6/F, Kwai Hing Government Offices 166-174 Hing Fong Road Kwai Chung, New Territories
Sha Tin & Tai Po Office Rooms 304-313, 3/F Sha Tin Government Offices 1 Sheung Wo Che Road Sha Tin, New Territories	Tuen Mun Office Unit 2, East Wing, 22/F Tuen Mun Central Square 22 Hoi Wing Road, Tuen Mun New Territories

यदि आपको अपने नियोक्ता पर रोजगार अध्यादेश, न्यूनतम मजदूरी अध्यादेश (जहां लागू हो) के उल्लंघन करने का संदेह है और आप एक आपराधिक अभियोग चलाने के दृष्टिकोण से उल्लंघन करने के सबूत देने के लिए तैयार हैं तो श्रम विभाग आपकी शिकायत को जांच करने के लिए संबंधित प्रभागों को भेज देगा।

यदि आपको श्रम विधान या श्रम विभाग के कार्य के बारे में कोई सामान्य जनकारी चाहिए तो पहले से रिकार्ड किए संदेश सुनने, फैक्स द्वारा जानकारी प्राप्त करने, और दिन में 24 घंटे किसी भी समय ऑप्रेटर से बात करने के लिए **2717-1771** (हॉटलाइन 1823 द्वारा संचालित) पर कॉल करें, या enquiry@labour.gov.hk पर ईमेल करें।

क्या कोई सांविधिक न्यूनतम मजदूरी है?

सांविधिक न्यूनतम मजदूरी (SMW) को 1 मई 2019 से प्रभावी रूप से बढ़ाकर $ 37.5 प्रति घंटा कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी अध्यादेश के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए किसी भी मजदूरी अवधि के संबंध में कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली

मजदूरी, उस कार्य अवधि के दौरान किए गए काम के घंटे की कुल संख्या का औसत निकालने पर SMW दर से कम नहीं होना चाहिए।

यदि मेरा रोजगार अनुबंध समाप्त कर दिया जाए तो मैं किसके लिए हकदार रहूंगा/गी?

जब आपने अपना अनुबंध पूरा कर लिया है और आपके अनुबंध का नवीकरण नहीं किया जाता है आपको इसके पूरा होने या समाप्त होने की तिथि से सात दिन के अंदर आपकी सभी मजदूरी और अन्य राशि मिल जानी चाहिए। इस राशि में शामिल होंगे:

- कोई भी बकाया मजदूरी;
- कोई वार्षिक अवकाश नहीं लेने की एवज में भुगतान;
- सेवा समाप्ति भुगतान या दीर्घ सेवा भुगतान (यदि लागू हो);
- श्रम कानून और आपके रोजगार अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आपकी अन्य बकाया राशि।

यदि आपको बर्खास्त किया जाता है तो उपर्युक्त मदो के अलावा और बर्खास्तगी की परिस्थितियों के अनुसार, यदि आपके नियोक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई या अपर्याप्त सूचना दी गई है तो आप नोटिस के एवज में भुगतान के हकदार होंगे।

यदि आप सेवा समाप्ति संबंधी भुगतान का दावा कर रहे हैं तो आपको अपने नियोक्ता को नोटिस देना होगा। यदि आप भुगतान के पात्र हैं तो नियोक्ता को आपकी सेवा समाप्ति संबंधि भुगतान के नोटिस की प्राप्ति की तिथि से दो महीने के अंदर भुगतान करना होगा।

क्या गैर-कानूनी ढंग से सेवा-समाप्त करने के विरूद्ध मुझे कोई सुरक्षा प्राप्त है?

रोजगार अध्यादेश और कर्मचारी मुआवजा अध्यादेश में रोजगार अनुबंध समाप्त करने के संबंध में विशेष सांविधिक प्रतिबंधों का उल्लेख है। संबंधित अध्यादेशों में अन्य प्रासंगिक शर्तों के अधीन किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में सेवा से बर्खास्त करना गैर-कानूनी है:

- एक गर्भवती कर्मचारी द्वारा गर्भावस्था की सूचना दिए जाने के बाद;

- जब कर्मचारी सांविधिक सवैतनिक रोगाअवकाश पर हो;
- रोजगार अध्यादेश, कार्य दुर्घटनाओं अथवा कार्य सुरक्षा कानून के उल्लंघन के संबंध में प्राधिकारियों को सूचना अथवा किसी कार्यवाही में कर्मचारी के गवाही दिए जाने के कारण;
- ट्रेड यूनियन की सदस्यता या ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण;
- कार्य स्थल पर घायल हुए किसी कर्मचारी के लिए श्रम विभाग या कर्मचारी मुआवजा आकलन बोर्ड, जैसा उचित हो, द्वारा संबंधित प्रासंगिक प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले अथवा कर्मचारी के मुआवजा संबंधी दावों का निपटान कर दिए जाने पर।

कार्य संबंधी चोट के लिए मुआवजा

श्रम विभाग का कर्मचारी मुआवजा प्रभाग:
- कार्य पर चोट लगने या निश्चित रोजगार जनित बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को कर्मचारी मुआवजा अध्यादेश के अन्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है;
- कार्य संबंधी दुर्घटना के कारण या निश्चित रोजगार जनित बीमारी के कारण मरने वाले किसी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को कर्मचारी मुआवजा अध्यादेश के अन्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है;

कर्मचारी मुआवजा प्रभाग के कार्यालयों के पते निम्नलिखित हैं:

ऑफिस ऑफ द' कर्मचारी मुआवजा प्रभाग लेबर डिपार्टमेंट	पता
कार्यस्थल पर चोट मामले	
<u>इनसे संबंधित फार्म जमा करें कार्य पर चोट की रिपोर्ट करना</u> या **<u>निर्धारित</u>** रोजगार जनित बीमारी मामले: • कर्मचारी मुआवजा प्रभाग ऑप्रेशन्स – सेंट्रल प्रोसेसिंग टीम	Room 1007, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon

<u>**कार्य पर चोट की रिपोर्ट किए गए मामलों या निर्धरित रोजगार जनित मामलों की पूछताछ:**</u>	
• कर्मचारी मुआवजा प्रभाग ऑप्रेशन्स – टीम A	Room 1605, 16/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
• कर्मचारी मुआवजा प्रभाग ऑप्रेशन्स – टीम B	Room 1007, 10/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon
• कर्मचारी मुआवजा प्रभाग ऑप्रेशन्स – टीम C	6/F, Tsuen Wan Government Offices, 38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories
• कर्मचारी मुआवजा प्रभाग ऑप्रेशन्स – टीम D	Rooms 05-06, 23/F, KOLOUR●Tsuen Wan I, 68 Chung On Street, Tsuen Wan, New Territories
	Room 239, 2/F, Shatin Government Offices, 1 Sheung Wo Che Road, Shatin, New Territories
• कर्मचारी मुआवजा प्रभाग ऑप्रेशन्स – टीम E	18/F, One Mong Kok Road Commercial Centre, 1 Mong Kok Road, Kowloon
घातक मामले	
घातक मामले ऑफिस	Room 601, 6/F, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, Hong Kong

संबंधित कार्यालयों के पते बदलाव के शर्ताधीन हैं। नवीनतम विवरण के लिए कृपया श्रम विभाग के होम पेज पर विजिट करें।
होमपेज: www.labour.gov.hk
हॉटलाइन: **2717-1771** (हॉटलाइन 1823 द्वारा संचालित है)

रोजगार की तलाश

यदि आप पहले से हांगकांग के निवासी हैं और कानूनी रूप से हांगकांग में रोजगार पाने के पात्र हैं तो आप रोजगार की तलाश के लिए श्रम विभाग के किसी भी रोजगार केन्द्र पर पंजीकरण करा सकते हैं। वे आपको निम्नलिखित सेवाएं नि:शुल्क प्रदान कर सकते हैं:

- रोजगार निर्देशपरक सेवा: आप डिस्प्ले पर या स्वयं-सेवी टच-स्क्रीन कंप्युटरों के माध्यम से रिक्तियों का चयन कर सकते हैं और रोजगार इंटरव्यू के लिए काउंटर पर स्टाफ से निर्देश हेतु सहायता माँग सकते हैं।
- रीसॉर्स कॉर्नर, विशेष काउंटर और रोजगार ब्रीफिंग: रोजगार चाहने वालों के लिए स्थानीय श्रम बाजार की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करने के लिए ये सभी रोजगार केंद्रों पर उपलब्ध हैं। आप अपनी रोजगार संबंधी जरूरतों के बारे में एक रोजगार अधिकारी से बातचीत कर सकते हैं जो आपको रोजगार तलाश के तरीकों, श्रम बाजार और प्रशिक्षण/पुर्नप्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और/या आपको यथोचित कैरियर अभिरूचि मूल्यांकन करवाने की सलाह दे सकते हैं।
- विशेष रोजगार कार्यक्रम: नौकरी चाहने वाले श्रम विभाग द्वारा संचालित विशेष रोजगार कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं जिसमें वास्तविक नौकरियों में कार्य ट्रायल की व्यवस्था करना शामिल है। आप यह जानने के लिए एक रोजगार अधिकारी से बात कर सकते हैं कि क्या ये कार्यक्रम आपकी जरूरतों के अनुकूल हैं।
- टेलीफोन रोजगार सेवा (2969-0888): यह एक उपयोगकर्ता-अनुकूल सेवा है जिसके द्वारा पंजीकरण करवाने वाले रोजगार केंद्रों पर पहुँचने के बजाय टेलीफोन द्वारा रोजगार निर्देश ले सकते हैं।

आप श्रम विभाग के विशाल डेटा बैंक तक किसी भी समय और कहीं भी इसकी इंटरएक्टिव रोजगार सेवा वेबसाइट (https://www.jobs.gov.hk) या इसके मोबाइल एप्लीकेशन पर रोजगार रिक्तियों के लिए पहुँच कर सकते हैं जो स्थानीय

नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। आप न्यून चीनी आवश्यकताओं की नवीनतम रोजगार भर्तियों और अन्य रोजगार जानकारी प्राप्त करने के लिए जातीय अल्पसंख्यक रोजगार चाहने वालों के लिए समर्पित वेबपेज (https://www.jobs.gov.hk/EM) पर भी विजिट कर सकते हैं।

श्रम विभाग ने तीन ऊोग-आधारित भर्ती केंद्र स्थापित किए हैं जो पूरे साल रोजगार मेलों का आयोजन करते हैं। यदि आप केटरिंग, खुदरा बाजार अथवा निर्माण उद्योगों में रोजगार चाहते हैं तो आपको रोजगार केंद्रों, इंटरनेट (https://www.jobs.gov.hk) या इसके मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा अथवा भर्ती केंद्रों को फोन करके भर्ती करने वाले नियोक्ताओं के साथ ऑन-द'-स्पॉट इंटरव्यू के लिए मुलाकात तय करनी होगी।

रोजगार केंद्रों और उद्योग-आधारित भर्ती केंद्रों के पते और टेलीफोन नंबर इस प्रकार हैं:

हांगकांग आइलैंड

Hong Kong East Job Centre 34/F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road Wan Chai, Hong Kong	2591-1318
Hong Kong West Job Centre 4/F, Western Magistracy Building 2A Pokfulam Road, Sai Ying Pun, Hong Kong	2552-0131
North Point Job Centre 12/F, North Point Government Offices 333 Java Road, North Point, Hong Kong	2114-6868
Recruitment Centre for the Catering Industry G/F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road Wan Chai, Hong Kong	2594-7800
Recruitment Centre for the Retail Industry G/F, Revenue Tower, 5 Gloucester Road Wan Chai, Hong Kong	2594-7833

कोवलून

Kowloon East Job Centre 1/F, Trade and Industry Tower 3 Concorde Road, Kowloon	2338-9787
Kowloon West Job Centre 9/F, Cheung Sha Wan Government Offices 303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon	2150-6397
Kwun Tong Job Centre 10/F, Kowloon East Government Offices 12 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon	2342-0486
Construction Industry Recruitment Centre 1/F, HKIC – Kowloon Bay Campus 44 Tai Yip Street, Kowloon Bay, Kowloon	3428-3303

न्यू टैरीटरीज

Sha Tin Job Centre 2/F, Sha Tin Government Offices 1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, NT	2158-5553
Sheung Shui Job Centre Units 2001-2006, Level 20, Landmark North 39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, NT	3692-4532
Tai Po Job Centre 3/F, Tai Po Government Offices 1 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories	2654-1429
Tsuen Wan Job Centre 2/F, Tsuen Wan Government Offices 38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories	2417-6197
Tuen Mun Job Centre G/F, Victory Building 3 Tsing Min Path, Tuen Mun, New Territories	2463-9967
Tung Chung Job Centre Unit 211A, 2/F, Yat Tung Shopping Centre Yat Tung Estate, Tung Chung, Lantau Island, New Territories	3428-2943
Yuen Long Job Centre Unit 401, 4/F, Tin Ching Amenity and Community Building Tin Ching Estate, Tin Shui Wai, New Territories	3692-5750

टेलीफोन रोजगार सेवा हॉटलाइन: **2969-0888**
इंटरएक्टिव रोजगार सेवा वेबसाइट: https://www.jobs.gov.hk

विदेशी घरेलू नौकरों के लिए

रोजगार की शर्तें

कानून के अनुसार, आपपको एक विशिष्ट नियोक्ता के लिए उसके आवास में जैसा रोजगार अनुबंध में निर्दिष्ट किया है उसके अनुसार कार्य करना होगा।

चेतावनी:

कोई भी आयातित कामगार या घरेलू नौकर हांगकांग में बिना अनुमोदन के पूर्ण-कालिक या अंश-कालिक कार्य स्वीकार नहीं कर सकता है। उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और जेल हो सकते हैं। उन्हें हांगकांग से निकाला भी जा सकता है।

यदि आपके नियोक्ता आपको घरेलू कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य करने अथवा निर्धारित पते के अलावा कहीं और कार्य करने के लिए कहते हैं तो आपको यह नहीं करना चाहिए। यह गैर-कानूनी है, और आपके नियोक्ता और आप दोनों के ऊपर अभियोग चलाया जा सकता है। आपको केवल वही कार्य करने की अनुमति है जो आपके अनुबंध में वर्णित है। यदि आपका नियोक्ता आपको कोई अन्य कार्य करने के लिए जोर देता है तो आप्रवासन विभाग के प्रवर्तन डिविजन को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।

रोजगार एजेंसियां

आप किसी रोजगार एजेंसी को आपके लिए सफलतापूर्वक रोजगार खोजने के लिए कमीशन दे सकते हैं, परंतु कमीशन आपको सफलतापूर्वक रोजगार दिलवाने के बाद पहले महीने के वेतन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। याथ ही, यह भी सुनिश्चित कर लें कि रोजगार एजेंसी के मालिक के पास लाइसेंस अथवा श्रम आयुक्त द्वारा जारी "छूट प्रमाण-पत्र" है। आप रोजगार एंजेंसी पोर्टल (www.eaa.labour.gov.hk) पर जाँच कर सकते हैं कि रोजगार एजेंसी के पास वैध लाइसेंस है या नहीं।

यदि आपको लगता है कि रोजगार एजेंसी के पास लाइसेंस नहीं है अथवा उसने आपसे ज्यादा पैसे लिए हैं तो आप श्रम विभाग के रोजगार एजेंसी प्रशासक प्रशासन को **2115-3667** पर कर सकते हैं। इसकर रिपोर्ट डाक द्वारा यहां भी कर सकते हैं **Employment Agencies Administration** डाक द्वारा (पता: Unit 906, 9/F, One Mong Kok Road Commercial Centre, 1 Mong Kok Road, Kowloon); फैक्स द्वारा (नंबर: 2115-3756); ईमेल द्वारा (ea-ee@labour.gov.hk); या रोजगार एजेंसी पोर्टल द्वारा (www.eaa.labour.gov.hk).

सलाह:

- किसी भी दस्तावेज, समझौते अथवा अनुबंध पर हस्ताक्षर ना करें यदि आप दी गई शर्तों से सहमत नहीं हैं अथवा आप इस बात से सुनिश्चित नहीं हैं कि उनका मतलब क्या है।
- जो मजदूरी आपने प्राप्त नहीं की है उसके लिए हस्ताक्षर ना करें।
- एजेंसी के कमीशन का भुगतान करने के बाद रसीद जरूर मांगें।
- एजेंसी को किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से भुगतान ना करें।
- एजेंसी द्वारा अनुरोध के बावजूद भी किसी कर्जदाता कंपनी से कर्ज लेकर एजेंसी को भुगतान ना करें।
- एजेंसी को अपना पासपोर्ट या अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज ना रखने दें।

यदि आपको लगता है कि किसी एजेंसी या किसी बिचौलिए ने आपके साथ धोखा किया है तो पुलिय में जाएं और घटना की रिपोर्ट करें। वैकल्पिक रूप से आप इन्हें फोन करें:

Information and Liaison Section, Immigration Department
2/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
टेली: **2824-6111**

चेतावनी:

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपका दोस्त ही क्यों ना हो, जो आपके रहने की अवधि बढ़ाने अथवा आपके नियोक्ता बदलने में मदद का प्रस्ताव करता है, उसे अपना पासपोर्ट ना दें। विगत में हांगकांग में अवैध रूप से रहने के इच्छुक कुछ घरेलू नौकरों को ऐसे "दोस्तों" ने धोखा दिया है।

विदेशी घरेलू नौकरों के अधिकार

विदेशी घरेलू नौकर के रूप में आपके बुनियादी रोजगार लाभों और अधिकारों को आपके रोजगार अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। हांगकांग में सभी विदेशी घरेलू नौकरों (राष्ट्रीयता से निरपेक्ष रहते हुए) के लिए केवल एक ही मानक आधिकारिक रोजगार अनुबंध है, जो आप्रवासन विभाग के विदेशी घरेलू नौकर अनुभाग में उपलब्ध है। इसका एक नमूना www.immd.gov.hk से डाउनलोड किया जा सकता है।

अपने वेतन, सांविधिक अधिकारों और लाभों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए श्रम विभाग से निम्नलिखित की एक प्रति मुफ्त प्राप्त करें: "विदेशी घरेलू नौकरों, नियोक्ताओं और एजेंसियों से संबंधित क्या करें और क्या न करें पुस्तिका", "रोजगार अध्यादेश संबंधी संक्षिप्त गाइड", "विदेशी घरेलू नौकरों के रोजगार हेतु व्यवहारिक गाइड – विदेशी घरेलू नौकरों और उनके नियोक्तओं को क्या जानना चाहिए", और "कर्मचारी मुआवजा अध्यादेश संबंधी संक्षिप्त गाइड" या समर्पित वन-स्टॉप ऑनलाइन विदेशी घरेलू नौकर पोर्टल www.fdh.labour.gov.hk/ पर विजिट करें।

पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों को सुरक्षित रखना

यदि आपके नियोक्ता या एजेंसी आपको पासपोर्ट और अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज सुपुर्द करने को बाध्य करते हैं तो यह गैर-कानूनी है। आपको उनके अनुरोध या सुझाव को इन्कार कर देना चाहिए। यदि आपको नियोक्ता या एजेंसी द्वारा अपने पासपोर्ट और अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज सुपुर्द करने को बाध्य करते हैं सहायता के लिए पुलिस या अपने दूतावास से संपर्क करें।

कानून और रोजगार अनुबंध के अंतर्गत मुझे कौन से लाभ प्राप्त हैं?

सभी विदेशी घरेलू नौकर निम्नलिखित के हकदार हैं:

- मासिक वेतन - साथ में रहने वाले विदेशी घरेलू नौकरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अनुमत मजदूरी से कम मासिक वेतन नहीं मिलना चाहिए।
- विश्राम दिवस - सात दिनों की प्रत्येक अवधि में एक विश्राम दिवस से कम नहीं; एक विश्राम दिवस लगातार 24 घंटों से कम अवधि का नहीं होता है;

- सांविधिक अवकाश - प्रत्येक वर्ष में 12 दिन;
- सवैतनिक वार्षिक अवकाश - सात दिनों का सवैतनिक अवकाश यदि आपने उसी नियोक्ता के पास कम से कम 12 महीने काम किया है; इसमें सेवा की अवधि के अनुसार उतरोत्तर बढ़ौतरी होती है जो अधिकतम 14 दिनों तक का होता है;
- गृह अवकाश - आपको नए अनुबंध के शुरू होने से पहले अवकाश पर, जिसकी अवधि सात दिन से कम नहीं हो, अपने मूल निवास स्थान वापस जाना चाहिए और आने-जाने का खर्च आपके नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। आपको अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने नियोक्ता के साथ इस बात पर सहमत होना चाहिए कि वे इस अवकाश का भुगतान करेंगे या नहीं।
- बीमारी भत्ता - कम-से कम चार क्रमिक दिनों की अवधि के बीमारी अवकाश के लिए दैनिक दर औसत दैनिक मजदूरी की राशि के चार-पांचवे भाग के बराबर है, बशर्ते आपने पर्याप्त संख्या में सवैतनिक बीमारी अवकाश जमा कर लिए हों और अपने बीमारी अवकाश के लिए उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र लगाया हो;
- मातृत्व अवकाश - महिला विदेशी घरेलू नौकर के लिए 10 सप्ताह का अवकाश बशर्ते वह मातृत्व अवकाश पर जाने से कम-से-कम चार सप्ताह पहले रोजगार पर लगाई गई हों। आपको अपने नियोक्ता को अपनी गर्भावस्था के बारे में सूचित करना होगा। यदि आप कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं तो आप मातृत्व अवकाश वेतन के लिए भी पात्र होंगे जिसकी दैनिक दर औसत दैनिक मजदूरी दर के चार-पांचवे भाग के बराबर होगी।
- पितृत्व अवकाश - पुरूष विदेशी घरेलू नौकर के लिए तीन दिन का अवकाश बशर्ते उसे पितृत्व अवकाश पर जाने से कम-से-कम चार सप्ताह पहले रोजगार पर लगाया गया हो। आपको एक नवजात शिशु का या होने वाले शिशु का पिता होना चाहिए और आपको अपने नियोक्ता को सूचना देना जरूरी है। यदि आप कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं तो आप पितृत्व अवकाश वेतन के लिए भी पात्र होंगे जिसकी दैनिक दर औसत दैनिक मजदूरी दर के चार-पांचवे भाग के बराबर होगी।
- सेवा से हटाए जाने संबंधी भुगतान - यदि आप कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आपके अन्तिम महीने के वेतन की राशि के दो-तिहाई के बराबर राशि;
- दीर्घ सेवा भुगतान - दि आप कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आपके अन्तिम महीने के वेतन की राशि के दो-तिहाई के बराबर राशि;
- दुर्घटना/चोट मुआवजा - यदि आप रोजगार के परिणामस्वरूप या इसके दौरान

चचोटग्रस्त होते हैं या किसी दुर्घटना (या एक विहित बीमारी) के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी मुआवजा अध्यादेश (कैप.282) के अंतर्गत साधारणत: आपके नियोकक्ता को मुआवजा देना होगा;

- चिकित्सा लाभ -अनुबंधके दौरान आपके चिकित्सा संबंध खर्च वहन करने के लिए नियोक्ता जिम्मेदार है; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपकी चोट या बीमारी आपके रोजगार के कारण हुई है या नहीं। परंतु, यदि आप अनुबंध अवधि के दौरान हांगकांग अपनी इच्छा से और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए छोड़ते हैं तो आपको अपना चिकित्सा खर्च स्वयं वहन करना होगा।
- मुफ्त यात्रा - आपके नियोक्ता को आपके मूल स्थान से हांगकांग तक आने के लिए और अनुबंध बीच में ही समाप्त करने आवा अनुबंध की अवधि पूरा होने की स्थिति में मूल स्थान तक वापस जाने के लिए यात्रा किराये के साथ-साथ दोनों ही परिस्थितियों में दैनिक खान-पान और यात्रा भत्ता देना चाहिए;
- भोजन - रोजगार अवधि के दौरान आपके नियोक्ता द्वारा भोजन, या आपके नियोक्ता के चयन अनुसार इसके बदले भोजन भत्ता दिया जाएगा।

कृपया अपने सांविधिक रोजगार लाभें के संबंध मं विस्तृत जानकारी हेतु रोजगार अध्यादेश, न्यूनतम मजदूरी अध्यादेश (जहां लागू हो) और कर्मचारी मुआवजा अध्यादेश का संदर्भ देखें।

रोजगार अनुबंध को पूरा करना

1. क्या मैं दूसरे प्रकार के रोजगार में जा सकता/ती हूँ?

रोजगार में बदलाव के लिए आप्रवासन निदेशक के अनुमोदन की जरूरत होती है। यदि आप विदेशी घरेलू नौकर हैं आपको दूसरी श्रेणी के रोजगार (गैर-विदेशी घरेलू नौकर) में जाने की अनुमति नहीं है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आपको अपने गृह देश वापस जाना होगा और नए (गैर-विदेशी घरेलू नौकर) रोजगार वीजा के लिए आवेदन करना होगा।

2. क्या मैं अपना नियोक्ता बदल सकता/सकती हूँ?

हांगकांग में नियोक्ताओं के आवेदन सामान्यत: दो वर्ष के अंदर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि एक विदेशी घरेलू नौकर किसी नए नियोक्ता के साथ कार्य करने की इच्छा जाहिर करता है, तो उसे अपने मूल निवास स्थान पर जाना चाहिए और उसे सीधे आप्रवासन निदेशक को डाक द्वारा या अपने नियोक्ता के माध्यम से उचित वीजा के लिए आवेदन करना चाहिए।

यदि आपने अनुबंध पूरा होने से पहले ("अपरिपक्व समाप्ति") अपना रोजगार खो दिया है तो अपवादस्वरूप कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे प्रवासन, बाहरी स्थानांतरण, आपके नियोक्ता की मृत्यु या वित्तीय समस्याओं या जहां सबूत हो कि आपके नियोक्ता द्वारा आपका शोषण हुआ है, आप्रवासन विभाग आपको हांगकांग में नियोक्ता बदलने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

रोजगार अनुबंध की समाप्ति

1. अनुबंध कौन समाप्त कर सकता है?

यदि आप अपना रोजगार अनुबंध इसके समाप्त होने से पहले निरस्त करना चाहते हैं तो साधारण परिस्थितियों में आपको रोजगार अनुबंध के अनुसार अपने नियोक्ता को एक महीने का लिखित नोटिस देना होगा, अथवा नोटिस के बदले एक महीने के वेतन का भुगतान करना होगा।

यदि आपके नियोक्ता रोजगार अनुबंध की समाप्ति तिथि से पहले उसे समाप्त करना चाहते हैं तो उसे भी एक महीने का लिखित नोटिस देना होगा, अथवा नोटिस के बदले एक महीने के वेतन का भुगतान करना होगा।
तथापि, आपके नियोक्ता आपको बगैर नोटिस या नोटिस के बदले भुगतान किए बगैर तत्काल बर्खास्त कर सकता है यदि आप:
- जानबूझकर एक वैध और तर्कसंगत आदेश की अवज्ञा करते हैं;
- स्वयं दुराचरण करते हैं;
- बेईमानी या धोखाधड़ी के दोषी हैं; या
- आदतन अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं।

दूसरी ओर, आप बगैर नोटिस या नोटिस के बदले भुगतान किए बगैर अपना रोगार अनुबंध निरस्त कर सकते हैं यदि आप:

- तर्कसंगत रूप से हिंसा या बीमारी के द्वारा शररिक खतरे के डर में हैं;
- नियोक्ता द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है; या
- पाँच से अनधिक वर्षों से रोजगार में हैं और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर या एक रजिस्टर्ड चीनी मेडिसन प्रैक्टीशनर द्वारा प्रमाणि किया जाता है कि आप उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं जिसमें आपको लगाया गया है।

नियोक्ता द्वारा समाप्ति समझा जाए

यदि वेतन देय होने के बाद एक माह के अंदर भुगतान नहीं किया जाए, आप अपने रोजगार अनुबंध को आपके नियोक्ता द्वारा बगैर नोटिस दिए निरस्त किया समझ सकते हैं और अन्य सांविधिक और अनुबंध संबंधी समाप्ति भुगतान के अलावा नोटिस के बदले भुगतान प्राप्त करने के हकदार होते हैं। विवादों से बचने के लिए आपको ऐसे अधिकार उपयोग करते समय अपने नियोक्ता को सूचित करना चाहिए।

2. यदि मेरा रोजगार अनुबंध समाप्त कर दिया जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि आपका अनुबंध समयपूर्व समाप्त कर दिया जाता है तो आपको अनुबंध समाप्त होने की तारीख से दो सप्ताह अथवा आपके ठहरने की समय-सीमा (लैंडिंग स्लिप पर उल्लिखित तिथि), जो भी पहले हो तक हांगकांग में ळइरने की अनुमति है। इसे आमतौर पर "दो-सप्ताह का नियम" के रूप में जाना जाता है। याद रखें कि इस अवधि के समाप्त होने से पहले आपको हांगकांग छोड़ना या आप्रवासन विभाग को सूचित करना होगा; अन्यथा आपको अधिक समय ठहरने वाला माना जाएगा। यह नियोक्ता और विदेशी घरेलू नौकर दोनों की जिम्मेदारी है कि वे रोजगार अनुबंध के समयपूर्व समाप्त होने के सात दिनों के अंदर आप्रवासन निदेशक को लिखित में सूचित करें।

अनुबंध के समाप्त होने पर आप अपने घर वापस जाने के लिए यात्रा किराये के साथ-साथ यात्रा भत्ता के हकदार होते हैं।

यदि आप कोई भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं और आपके नियोक्ता भुगतान करने से मना करता है तो आपको अपना दावा श्रम विभाग में करना चाहिए। जब आप आप्रवासन विभाग से हांगकांग में अपने ठहरने के संबंध में संपर्क करते हैं तो आप श्रम विभाग द्वारा दिए गए दस्तावेज यह दिखाने के लिए पेश कर सकते हैं कि आपका एक दावा है जिसका निपटान श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है।

कृपया नोट करें कि आप्रवासन विभाग किसी ऐसे विदेशी घरेलू नौकर, जिसका अनुबंध समाप्त कर दिया गया है, को रोजगार की अनुमति नहीं देता है जब तक कि अन्यथा आप्रवासन निदेशक ने इसकी अनुमति उसके श्रम संबंधी दावे के निपटारे तक के लिए नहीं दी हो।

समर्पित हॉटलाइन, ईमेल अकाउंट और ऑनलाइन फार्म विदेशी घरेलू नौकरों के लिए

श्रम विभाग ने विदेशी घरेलू नौकरों को वन-स्टाप सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित हॉटलाइन (**2157-9537**) स्थापित की है, इसमें शामिल है उनके रोजगार अधिकारों और दायित्वों पर सलाह देना; पूछताछ, सेवा या सहायता के लिए अनुरोधों या श्रम-संबंधी मामलों पर शिकायतों को श्रम विभाग के संबंधित प्रभागों को फॉलो-अप और/या जांच-पड़ताल करने के लिए निर्दिष्ट करना और विदेशी घरेलू नौकरों के लिए उनके संदिग्ध शोषण या शारीरिक शोषण से संबंधित पूछताछ, सेवाओं या शिकायतों या सेवाओं अनुरोध को दाखिल करवाने के लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करने में सलाह या मदद करना। हॉटलाइन 1823 द्वारा संचालित है और दिन में 24 घंटे कार्य करती है। दुभाषिया सेवाएं सात भाषओं (टैगलॉग, भाषा इण्डोनेशिया, थाई, नेपाली, हिंदी, पंजाबी और उर्दू) में सोमवार से रविवार (सार्वजनिक अवकाश छोड़कर) सुबह 8 से सायं 10 तक उपलब्ध हैं।

हॉटलाइन पर कॉल करने के अलावा विदेशी घरेलू नौकर उनके हांगकांग में रोजगार मामलों के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं और उनके रोजगार अधिकारों का उल्लंघन होने पर ईमेल अकाउंट (fdh-enquiry@labour.gov.hk) और विदेशी घरेलू नौकर पोर्टल (www.fdh.labour.gov.hk) पर ऑनलाइन फार्म द्वारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

दुर्व्यवहार, शारीरिक और यौन शोषण

हांगकांग में कामगारों चाहे घरेलू हो अथवा अन्य का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाता है। यदि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आपका शारीरिक अथवा यौन शोषण हुआ है तो आप कोई नोटिस देने या उसके बदले भुगतान किए बगैर तत्काल रूप से अनुबंध समाप्त करने के हकदार हैं। आपातस्थिति में आप पुलिस को मामले की सूचना**999** पर, पुलिस हॉटलाइन **2525-7177** पर या अध्याय 10 में सूचीबद्ध पुलिस स्टेशन के किसी नंबर पर दे सकते हैं।

अन्य संगठनों से सहायता

अनिवार्य भविष्य निधि (MPF)

यदि आप एक कर्मचारी हैं या स्व-रोजगार में लगे व्यक्ति हैं तो MPF प्रणाली आपको अपने भविष्य के लिए बचत करने में सक्षम बनाती है। केवल छूट प्राप्त व्यक्तियों के अलावा, 18 से 64 वर्ष के कर्मचारियों और स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों को 18 में शामिल होना आवश्यक है। निम्नलिखित व्यक्तियों को छूट प्राप्त है जिन्हें MPF योजना में शामिल होना आवश्यक नहीं है:

- घरेलू कर्मचारी;
- स्वरोजगार वाले फुटकर विक्रेता;
- सांविधिक पेंशन या भविष्य निधि योजनाओं में शामिल व्यक्ति;
- ऐसी पेशगत सेवानिवृत्ति योजनाओं के सदस्य जिन्हें MPF की शर्तों में छूट प्रदान की गई है;
- विदेश से आने वाले वे लोग जो रोजगार अथवा स्व-रोजगार के लिए 13 माह से ज्यादा समय के लिए हांगकांग नहीं आते हैं या जो विदेशी सेवानिवृत्ति योजनाओं के सदस्य हैं; और
- हांगकांग में यूरोपीय कमीशन के यूरोपीय सूनियन कार्यालय के कर्मचारी।

यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आपके नियोक्ता को आपके सेवा में आने के 60 दिनों के अंदर आपको उनकी पसंद की किसी MPF योजना में नामांकन करना आवश्यक है।

आप चयनित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित घटक निधियों में से चयन कर सकते हैं। यदि आप कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो आप और आपके नियोक्ता द्वारा किए गए MPF योगदान को स्वत: डिफाल्ट निवेश कार्यनीति के अनुरूप निवेश कर दिया जाएगा।

आप और आपके नियोक्ता को आपकी संबद्ध आय के 5 प्रतिशत के आधार पर अनिवार्य योगदान देना होता है। किसी कर्मचारी के अनिवार्य योगदान संबद्ध आय के सांविधिक न्यूनतम और अधिकतम स्तरों पर निर्भर करते हैं, जबकि किसी नियोक्ता के अनिवार्य योगदान संबद्ध आय के सांविधिक अधिकतम स्तर पर निर्भर करते हैं।

एक बार आपका नियोक्ता आपके योगदान और आपके लिए दिए जाने वाले अपने योगदान को किसी संबद्ध MPF योजना में डाल देता है, तो योगदानों का अनिवार्य भाग और उससे प्राप्त कोई निवेश लाभांश पूर्ण रूप से और तत्काल प्रभाव से आपमें निहित हो जाएगा। आप अपने MPF योजना से प्राप्त लाभ को एकुश्त या किश्तों में सेवानिवृत्ति की उम्र अर्थात 65 वर्ष के हो जाने पर, अथवा नियम में निर्धारित अन्य परिस्थितियों, नामत: 60 वर्ष की आयु पर पहले सेवानिवृत्ति लेने, हांगकांग को सदा के लिए छोड़कर जाने, मृत्यु, घातक बीमारी, पूर्ण रूप से अक्षम होने पर और खाते में कम राशि होने पर निकाल सकते हैं।

कर्मचारी विकल्प व्यवस्था के अंतर्गत, आप अपने वर्तमान योगदान खाते में जमा अनिवार्य योगदान और निवेश लाभ में से कर्मचारी के अंश का अपने पसंद की MPF योजना में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एकबार एकमुश्त हस्तांतरण कर सकते हैं।

यदि आप एक स्व-रोजगार में लगे व्यक्ति हैं तो आपके लिए किसी MPF योजना में शामिल होना और उसमें अपनी आय का 5% योगदान देना आवश्यक है, बशर्ते ये संबद्ध आय के सांविधिक न्यूनतम और अधिकतम स्तरों के अनुरूप हों। आप चयनित योजना के अंतर्गत प्रस्तावित घटक निधियों में से चयन कर सकते हैं और योगदान तथा निवेश लाभ को किसी भी समय दूसरी योजना में अन्तरित कर सकते हैं।

MPF के विवरण के लिए आप अनिवार्य भविष्य निधि योजना प्राधिकरण की वेबसाइट www.mpfa.org.hk देख सकते हैं या इसके कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं:

Level 8, Tower 1 Kowloon Commerce Centre 51 Kwai Cheong Road Kwai Chung	Level 25, Tower 1 Millennium City 1 388 Kwun Tong Road Kwun Tong, Kowloon
Room 1201-1207 Nan Fung Tower 88 Connaught Road Central Sheung Wan	

हॉटलाइन: **2918-0102**
फैक्स: 2259-8806
ई-मेल: mpfa@mpfa.org.hk

व्यावसायिक और वयस्क शिक्षा

1. व्यावसायिक और पेशागत शिक्षा एवं प्रशिक्षण

व्यावसायिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1982 में VTC अध्यादेश (कैप. 1130) के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में हांगकांग की आवश्यकता के अनुसार समग्र व्यावसायिक और पेशागत शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रावधान के संबंध में मुख्य कार्यकारी को सलाह देने के लिए की गई थी।

VTC अपने सदस्य संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक और पेशागत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिनमें Technological and Higher Education Institute of Hong Kong (THEi), Institute of Professional Education And Knowledge (PEAK), School for Higher and Professional Education (SHAPE), Hong Kong Institute of Vocational Education (IVE), Hong Kong Design Institute (HKDI), Pro-Act by VTC, International Culinary Institute (ICI), Hotel and Tourism Institute (HTI), Chinese Culinary Institute (CCI), Maritime Services Training Institute (MSTI), Youth College (YC), Integrated Vocational Development Centre (IVDC) and Shine Skills

Centre शामिल हैं। यह प्रत्येक वर्ष लगभग 2,50,000 प्रशिक्षण स्थान उपलब्ध करवाता है जहां विभिन्न शिक्षा स्तरों के लोगों को रोजगार-पूर्व और सेवारत व्यावसायिक और पेशागत शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं जिनमें डिग्री, उच्चतर शिक्षा, डिप्लोमा और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोड़ने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और शिक्षु प्रशिक्षण शामिल हैं।

पूछताछ: **2836-1000**; Website: www.vtc.edu.hk

विनिर्माण उद्योग परिषद (परिषद) एक स्वायत्त निकाय है जिसे विनिर्माण उद्योग परिषद अध्यादेश (कैप. 587) के तहत स्थापित किया गया है।

परिषद इसके सदस्य संगठन, हांगकांग इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन (HKIC) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह युवाओं और वयस्कों को कुशल शिल्पकार, निर्माण संयंत्र ऑप्रेटर और निरीक्षक/तकनीशियन बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, HKIC सेवारत विनिर्माण कार्मिकों को अंशकालिक स्तरोन्नयन, प्रोद्यौगिकी और प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रमों की पेशकश भी करती है, इनमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं बिल्डिंग इंफोर्मेशन मॉडलिंग (BIM) और मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन (MiC)। HKIC तीन परिसरों, एक विनिर्माण पेशेवर विकास स्कूल और लगभग दस मुक्त प्रशिक्षण केंद्रों को संचालित करती है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त परिषद विनिर्माण कामगारों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए ट्रेड परीक्षण और विनिर्माण संयंत्र ऑप्रेटरों के लिए प्रमाणीकरण परीक्षण भी आयोजित करती है। परिषद विभिन्न "पहले नियुक्ति करो-फिर प्रशिक्षित करो" योजनाओं के माध्यम से नए युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उद्योग के साथ सहयोग करती है।

पूछताछ: **2100-9000**; Website: www.cic.hk और www.hkic.edu.hk

2. तकनीकी प्रशिक्षण

वस्त्र उद्योग प्रशिक्षण प्राधिकरण (CITA) डिप्लोमा और उससे ऊपर के स्तर के लिए पूर्णकालिक और अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करने और पेशेवर परामर्श और

तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए दो प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करता है। इसका मिशन वस्त्र उद्योग को निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रभावी रूप से सुदृढ़ करने के लिए उद्योग आधारित दृष्टिकोण अपनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने में सहायता करना है:

- प्रबंधन और तकनीकी पेशेवरों को प्रशिक्षित एवं विकसित करना;
- अच्छी वाणिज्यिक परिपाटी को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्पादकता एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम; और
- सूचना प्रोद्यौगिकी के अनुपय्रोग को सरलीकृत करना।

पूछताछ: **2263-6300**; Website: www.cita.org.hk

3. कर्मचारी पुर्नप्रशिक्षण

कर्मचारी पुर्नप्रशिक्षण बोर्ड (ERB) एक स्वायत्त निकाय है जो कर्मचारी पुर्नप्रशिक्षण अध्यादेश के तहत 1992 में स्थापित किया गया। ERB का मुख्य कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेवाओं का समन्वय, निधि प्रदान और निगरानी करना है। इसकी सेवाओं का लक्षित वर्ग सब-डिग्री या उससे नीचे की शिक्षा प्राप्त 15 या उससे ज्यादा आयु वर्ग के लोग हैं।

ERB अपनी "जनशक्ति विकास योजना" के तहत प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं के माध्यम से उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के दृष्टिगत हांगकांग में काम करने वाले गैर-चीनी मूल के पात्र कर्मचारियों सहित विभिन्न सेवा लक्ष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बाजार-संचालित और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 400 प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने वाले 80 प्रशिक्षण निकायों को नियुक्त करता है।

ERB पात्र आवेदकों को पूर्णकालिक तथा अंशकालिक दोनों प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्लेसमेंट से जुड़े पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले बेरोजगार प्रशिक्षु पुर्नप्रशिक्षण भत्ता के लिए पात्र हैं, स्नातकों को रोजगार प्राप्त करने और रोजगार में बने रहने के लिए मदद करने हेतु प्लेसमेंट फॉलोअप सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया visit www.erb.org पर विजिट करें या ERB हॉटलाइन **182-182** पर कॉल करें।